International Journal of Humanities and Social Science Research
www.socialsciencejournal.in
ISSN: 2455-2070
Received: 31-12-2021, Accepted: 16-01-2022, Published: 31-01-2022
Volume 8, Issue 1, 2022, Page No. 69-71

महिला सशक्तिकरण और मीडिया

विनीता शर्मा[1], विमलेश अग्रवाल[2]
[1] शोधार्थी, जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर, मध्यप्रदेश, भारत
[2] प्राध्यापक (समाजशास्त्र), महारानी लक्ष्मीबाई शासकीय, उत्कृष्ट महाविद्यालय, ग्वालियर, मध्यप्रदेश, भारत

सारांश
मीडिया लोगों के व्यवहार को परिवर्तित करने में अहम भूमिका का निर्वहन करता है। वर्तमान समय में व्यवहार में परिवर्तन लाए बिना महिला सशक्तिकरण की बात करना उचित नहीं होगा। आज के समय में महिलाऐं जहाँ एक ओर सभी क्षेत्रों में अपना परचम लहरा रही है वहीं दूसरी ओर उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक माना जाता है। महिलाओं को समाज में उचित स्थान एवं स्वयं में सशक्त बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि मीडिया के सहयोग के माध्यम से महिलाओं के प्रति प्रचलित रूढ़ीवादी मनोवृत्ति में परिवर्तन लाया जाऐं। तभी सम्पूर्ण समाज का विकास सम्भव होगा। इस शोध पत्र में मीडिया की भूमिका महिलाओं के सशक्तिकरण में किस प्रकार से सहायक की चर्चा की गई है।

मूल शब्दः महिला सशक्तिकरण, मीडिया

प्रस्तावना
समाज में महिलाओं की समस्याओं की बात हो या महिला सशक्तिकरण का सवाल हो या उनके विभिन्न जगह पर प्रतिनिधित्व का मुद्दा हमेशा से उठता रहा है। और मीडिया के जरिये भी यह मुद्दा प्रमुखता से उठाया जाता रहा है। सृष्टि की निर्मात्री है नारी। विभिन्न रूपों में अपने दायित्वों का निर्वाह करते हुए परिवार, समाज और राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोती है नारी। वात्सल्य, प्रेम, करूणा, दया, संवेदना और सहिष्णुता की प्रतिमूर्ति है नारी। संवैधानिक रूप से बराबर की अधिकारिणी है नारी। फिर भी छली जाती है नारी, कभी असमानता के नाम पर, कभी हिंसा के नाम पर, कभी उपेक्षा के नाम पर।
सामाजिक अपराध हिंसा और पारिवारिक से महिलाओं को बचाए रखने के संवैधानिक कानूनों की कमी नहीं है साथ ही महिलाओं के उत्थान कौशल विकास एवं समग्र सशक्तिकरण के लिए योजनाओं की भी कमी नहीं है। इन योजनाओं में महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर विशेष जोर दिया जाता है। आर्थिक आत्मनिर्भरता, निश्चित तौर पर सशक्तिकरण का एक अनिवार्य और अति महत्वपूर्ण कारक है।
तब प्रश्न ये उठता है इतनी योजनाओं और कानूनों के बावजूद महिला को अपराध मुक्त ओर भय मुक्त वातावरण क्यों नही मिल पा रहा है, शिक्षा, विकास और रोजगार में पुरुषों के समान अवसर प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं स्पष्टतः इसका कारण है उपलब्ध कानून एवं योजनाओं का जमीनी स्तर पर सही और प्रभावी ढंग से क्रियान्वित न हो पाना। इसके लिये जनता, सरकार और प्रशासनिक व्यवस्था का महिलाओं के प्रति सकारात्मक एवं स्पष्ट दृष्टिकोण होना आवश्यक है। इसके साथ ही न्यायिक प्रक्रिया में त्वरित न्याय के लिये प्रयास किया जाना भी बहुत आवश्यक है ताकि आपराधिक और असामाजिक तत्वों में कानून का भय रहे। अगर समाज ही अपराध मुक्त नहीं होगा। तो महिला भय मुक्त कैसे हो पायेगी। अब प्रश्न उठता है कि इन कानूनों और योजनाओं के समुचित क्रियान्वयन के लिये दबाव कैसे बनाया जाये? प्रिन्ट मीडिया और इलेक्ट्रोनिक मीडिया से इसमें सहयोग की अपेक्षा रखना बेईमानी है। उनके अपने व्यावसायिक, राजनीतिक एवं आर्थिक हित होते है। सौभाग्य की बात है कि आज इन्टरनेट का युग है और सोशल मीडिया ने आम व्यक्ति के हाथ में अपने अधिकारों के लिये लड़ने के लिए फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, ब्लॉग पेज, यू–ट्यूब जैसे सैंकड़ों प्लेटफार्म उपलब्ध करा दिये है। आज इन्टरनेट और सोशल मीडिया अधिकांश व्यक्तियों के दैनिक जीवन का अंग बन गया है। महिलायें इनसें जुड़कर घर की चारदीवादी के अन्दर रहते हुये भी अपने विचार एवं अभिव्यक्ति पूरी दुनिया तक पहुँचा पा रही है। आपराधिक हिंसा और यौन शोषण महिलाओं की हमेशा से ही बड़ी समस्या रही है। सोशल मीडिया ने महिलाओं को इसके विरूद्ध आवाज उठाने का एक सक्षम मंच प्रदान किया है। ये सोशल मीडिया की दी हुई ताकत ही थी कि महिलाओं ने इस प्लेटफार्म पर अपनी सामाजिक समस्याओं के साथ ही अपनी बेहद निजी व्यक्तिगत समस्याओं को सार्वजनिक तौर पर उजागर करने की हिम्मत दिखाई। वर्तमान समय में विभिन्न क्षेत्रों में सूचना, संचार एवं तकनीकी के प्रयोग के कारण वृहत स्तर पर महिलाऐं इसका लाभ उठा रही है। सरकारी और निजी क्षेत्र का कम्प्यूटरीकरण होने के कारण लगभग समस्त सेवाऐं ऑनलाइन उपलब्ध हैं इन सेवाओं का लाभ सभी वर्गों के लोग उठा रहे है। इनमें महिलाओं का भी महत्वपूर्ण स्थान है। सेवाओं तक ऑनलाइन पहुँच महिलाओं को सशक्त करने में बड़ी भूमिका निभाता है।

महिला सशक्तिकरण के लिए आई.सी.टी. (मीडिया) का व्यापक स्तर पर प्रयोग होने वाले क्षेत्र निम्नलिखित है।

षिक्षा के क्षेत्र में
मीडिया विकास के फलस्वरूप सूचना क्रान्ति और इन्टरनेट के व्यापक प्रयोग के कारण आधुनिक समय में शिक्षा कक्षाओं से बाहर निकल कर ऑनलाइन उपलब्ध है। आवश्यकता है तो केवल मोबाइल या कम्प्यूटर और पर्याप्त इन्टरनेट स्पीड

की। कई सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएँ अपने पाठ्यक्रमों को ऑनलाइन उपलब्ध करा रही है। सभी वर्गों तक इन पाठ्यक्रमों की समान उपलब्धता के कारण महिलाऐं भी इनका लाभ उठाकर आगे बढ़ रही है। मूक, स्वयं प्रभा, ई–पाठ्शाला, सी.ई.सी. एवं मुक्त विश्वविद्यालयों द्वारा ऑनलाइन शिक्षा के क्षेत्र में किये गये प्रयोग महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बड़ी भूमिका निभा सकते है।

रोजगार के क्षेत्र में

सूचना संचार एवं तकनीकी क्रान्ति के कारण सूचना तकनीकी के क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में प्रबल सम्भावनाऐं है। इस क्षेत्र में महिलाओं के रोजगार की दृष्टि से सुरक्षित माना जाता है। इन क्षेत्र में बड़ी मात्रा में महिलाओं के रोजगार में लगे होने के कारण ऐसी मान्यता है कि महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से यह क्षेत्र बहुत उपयोगी है।

सरकारी योजनाओं मे

सरकारी योजनाओं में परिदर्शिता लाने के उद्देश्य से अधिकांश सरकारी योजनाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना, के माध्यम से प्रधानमंत्री उज्जवल योजना, विधवा पेंशन योजना, विकलांग पेंशन योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, एक बालिका योजना, इत्यादि में लाभार्थी के खाते में सीधे पैसे का अंतरण हो रहा है। बड़ी मात्रा में महिलाओं तक इन योजनाओं की पहुँच के कारण इसका लाभ ले रही है। बिचौलियों की अनुपस्थिति से इन योजनाओं का पूरा लाभ महिलाएँ उठा रही है, जिससे महिलाओं की स्थिति में सुधार हो रहा है।

बैंकिंग क्षेत्र में

ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाऐं जो एक समय तक बैंको के नाम से भी अनभिज्ञ थी, आज उनके एक से अधिक बैंकों में खाते खुले है। सिर्फ खाते ही नहीं बल्कि वह बराबर का लेन–देन करती है। जनधन जैसी योजना ने लगभग प्रत्येक परिवार को बैंकों से जोड़ दिया है। जनधन योजना और विभिन्न सरकारी योजनाओं में लाभार्थी के रूप में महिलाओं को प्राथमिकता दिये जाने के कारण महिलाओं का बैंक में खाता होना अनिवार्य हो गया है। इससे जहाँ एक ओर वित्तीय समावेश के लक्ष्य प्राप्त हो रहे है वहीं दूसरी ओर महिला सशक्तिकरण भी हो रहा है।

स्वास्थ्य क्षेत्र में

स्वास्थ्य क्षेत्र में सेवाओं के ऑनलाइन किए जाने के कारण इसका प्रभाव न केवल महिलाओं के स्वास्थ्य पर पड़ता है, बल्कि महिलाओं को इससे सुविधा भी प्राप्त होती हो रही है। डॉक्टरों से ऑनलाइन नम्बर एवं वार्तालाप कि सुविधा होने से दूर–दराज से आने वाली महिलाओं के लिए विशेष लाभकारी है। इससे वे अपने बचे हुए समय को उत्पादक कार्यों में लगाती है। सूचना क्रान्ति के कारण टेली मेडिसन जैसे अनुप्रयोगों के द्वारा गम्भीर बीमारियो की जाँच, निदान और उपचार दूर–दराज बैठे हुए डॉक्टरों द्वारा वीडियों कॉन्फ्रेंस के जरिए किया जा रहा है।

शिकायतों के लिए

सूचना क्रान्ति के कारण केन्द्रीय एवं राज्य स्तरों पर विभिन्न शिकायतों के लिए ऑनलाइन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। लगभग प्रत्येक राज्य अपराधों से सम्बन्धित ऑनलाइन शिकायतें स्वीकार कर रही है। ई– एफ.आई.आर. का प्रचलन भी बड़ा है। अब महिलाऐं समाज में स्वयं सम्बन्धित होने वाले अपराधों के विरूद्ध ऑनलाइन एवं मीडिया के माध्यम से प्रकरण दर्ज करा सकती है। ये सोशल मीडिया की दी हुयी ताकत ही थी कि महिलाओं ने इस प्लेटफार्म पर अपनी सामाजिक समस्याओं के साथ ही अपनी बेहद निजी व्यक्तिगत समस्याओं को सार्वजनिक तौर पर उजागर करने की हिम्मत दिखाई। इन व्यक्तिगत समस्याओं में ''मीटू'' प्रमुख है। जिसमें सक्षम एवं उच्च पदों पर बैठी चर्चित महिलाओं ने अपने यौन शोषण की बाते सार्वजनिक की। इसी प्रकार ''मेरी रात मेरी सड़क'' हरियाण के आइ.ए.एस. की बेटी वार्षिका कुंडू की सोशल मीडिया पर लड़ी गयी। महिला का रात में सड़क पर चलने पर सुरक्षा की मुहिम थी। ऐसी एक मुहिम ''लहुका लयान'' हैशटेग के माध्यम से सेनिटरी नैपकीन पर लगे टैक्स के विरोध में चलाई गयी थी। सोशल मीडिया से महिलाओं की समस्याओं को एक सशक्त प्लेटफार्म मिला है।

निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि सोशल मीडिया महिलाओं के सशक्तिकरण और समग्र विकास में एक बढ़ी भूमिका निभा रहा है। इससे महिलाओं की सोच का दायरा बढ़ रहा है एवं सरकार की महिला उत्थान से सम्बन्धित योजनाओं की सही जानकारी भी महिलाओं को घर बैठे उपलब्ध हो रही है। ये एक जादू का पिटारा है, अतः इसका सकारात्मक उपयोग अपेक्षित है। साथ ही महिलाओं को इसका अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहिये। ताकि वे समाज में स्वयं का और भी अधिक बेहतर अग्रणीय और गौरवमयी स्थान बना सके।

संदर्भ सूची

1. गॉधी, वी.पी. (1995), मीडिया एवं कम्यूनिकेशंस टुडे, पॉलिसी ट्रेनिंग एण्ड डेवलपमेंट, संस्करण 2 कनिश्का पब्लिशर्स, नई दिल्ली।
2. Chaudhary, Maitrayee (2000), Feminism in print Media, India Journal of Gender studies, sage Pb. New Delhi.
3. उमा, सिंह (2001), न्यू वुमन एण्ड मास मीडिया, सुरभि पब्लिकेशन जयपुर।
4. भट्ट, एस.सी. (2003), मीडिया – सेंसेशन नॉट टुथ्र, ज्ञान पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली।
5. सवलिया, बिहारी (2005), महिला जागृति और सशक्तिकरण, आविश्कार पब्लिशर्स, जयपुर।
6. सिंह, निशंत (2006), मीडिया लेखन कला, ओमंगा पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
7. बिश्ट, दीपा (2009), नारी सशक्तिकरण के सोपान, अंकित प्रकाशन, नई दिल्ली।

8. कुमार, उमेश (2020), महिला सशक्तिकरण और मीडिया, राश्ट्रीय महिला आयोग (नई दिल्ली द्वारा वित्त पोशित राश्ट्रीय संगोश्ठी पर आधारित) रेड विक बुक (उ.प्र.)।